सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 120/2018

आनन्द प्रकाश पुत्र श्री धूलीलाल जाति ब्राहमण निवासी सीन्धन्या तहसील मांगरोल जिला बारां
...वादी

♠ बनाम ♠

ग्राम पंचायत भटवाडा जर्ये ग्राम सेवक (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां
....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा

निर्णय दिनांक : 28.11.2018

दायरा दिनांकः 27.09.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के कब्जे एवं खाते की आराजी ग्राम सीन्धन्या तहसील मांगरोलं की खाता संख्या 5 खसरा नं0 7 रकबा 1.95 है0, खसरा नं0 78 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 244 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 245 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 349/429 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 350 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 368 रकबा 0.65 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.51 है0 वाके ग्राम सीन्धन्या तहसील मांगरोल में स्थित है जिसमें से खसरा नं0 368 रकबा 0.65 है0 भूमि विवादित है जिसमें वर्तमान में तिल्ली की फसल हो रही है जिसके चारो ओर तारो की बाड हो रही है। उक्त विवादित भूमि के समीप सरकारी भूमि खसरा नं0 453/369 रकबा 0.04 है0 स्थित है जो शमशान घाट के नाम से आवंटित हो रही है। जिस पर प्रतिवादी निर्माण के नाम पर वादी की कब्जा काश्त की उक्त भूमि पर जबरन नींव खोद कर बाउन्ड्री बनाने पर आमादा है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वही वादी की खाते की आराजी खसरा नं0 368 रकबा 0.65 है0 में किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 27.09.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन (रजिस्टर्ड डाक से) तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत कुमार जैन ने दिनांक 05.10.2018 को वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी द्वारा आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया। पत्रावली में दिनांक 28.11.2018 को वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में निवेदन किया है कि उसकी कब्जे व खाते की आराजी ग्राम सीन्धनिया में आराजी खसरा नं0 368 रकबा 0.65 है0 में प्रतिवादी ग्राम पंचायत भटवाडा जर्ये ग्राम सेवक (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत भटवाडा अनुचित तरीके से बाउण्ड्री निर्माण करवाना चाहता है एवं वादी को काश्त करने में दखलअंदाजी करता है। अतः सुनी गयी बहस व संलग्न दस्तावेजो के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी ग्राम पंचायत भटवाडा जर्ये ग्राम सेवक (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत भटवाडा को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी की कब्जे व खाते की आराजी ग्राम सीन्धनिया में आराजी खसरा नं0 368 रकबा 0.65 है0 में किसी प्रकार का निर्माण नही करे एवं किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें व वादी को शांति पूर्वक काश्त करने देवें। व प्रतिवादी ग्राम पंचायत भटवाडा जर्ये ग्राम सेवक (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत भटवाडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भटवाडा में शमशान घाट हेतु आवंटित भूमि खसरा नं0 453/369 रकबा 0.04 है0 की सीमा में में ही बाउण्ड्री वाल का निर्माण करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाय